मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए नामांकन

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(प्रपत्र 1, नियम 53 / Form 1, Rule 53)

अधिकारी का अगर अपना परिवार है और उसके एक सदस्य अथवा एक से अधिक सदस्यों को नामित करना चाहता है |

When the Government servant has a family and wishes to nominate the member, or more than one member thereof.

मैं .............................................................................................................., एतदद्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नामित करता/करती हूँ, जो मेरे परिवार का/के सदस्य हैं और सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरी मृत्यु पर प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया जा सकता है और कोई भी ग्रेच्युटी जो सेवानिवृत्ति पर मेरे लिए स्वीकार्य बन जाएगी और मेरी मृत्यु पर बकाया रह जाएगी, उसे नीचे दी गई सीमा तक उनके द्वारा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता/करती हूँ |

I, …………………………………………………………………………………….., hereby nominate the person/ persons mentioned below, who is/are a member/members of my family, and confer on him/them the right to receive, to the extent specified below, and gratuity that may be sanctioned by the Central Government. In the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement, may remain unpaid at my death.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| नामित सदस्य का नाम व पता  Name and address  of the payable nominee | सरकारी सेवक के साथ संबंध  Relationship with the Government Servant | आयु  Age | घटनाओं की आकस्मिकताएँ, जिस पर नामांकन अविधिमान्य हो जाएगा |  Contingencies on the happenings of which the nomination shall become invalid. | व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, संबंध तथा आयु, यदि कोई हो तो, जिसको/जिनको सरकारी कार्मिक की मृत्यु से पहले अथवा बाद में तथा ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त होने से पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामित व्यक्ति का अधिकार मिल जाएगा |  Name, address, relationship and age of the person or persons if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee Predeceasing the Government Servant or the nominee dying after the death of the Government Servant but before receiving payment of the gratuity | प्रत्येक व्यक्ति को अदा किए जाने वाली ग्रेच्युटी की राशि अथवा भाग  Amount or Share of Gratuity payable to each |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

यह नामांकन दिनांक ................... को मेरे द्वारा पूर्व में किए गए नामांकन का स्थान लेता है और मेरे द्वारा पूर्व में किए गए नामांकन को रद्द समझा जाए |

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ which stand cancelled.

नोट-1 : सरकारी सेवक खाली जगह पर अन्तिम प्रविष्टि के नीचे इस तरह से लाइन खींचेगा कि उसके हस्ताक्षर के बाद अन्य कोई नाम नहीं जोड़ा जा सके |

नोट-2 : जो लागू नहीं हो, उसे काट दे |

Note-1: The Government Servant shall draw line across the blank space below his last entry to prevent insertion of any name after he/she has signed.

Note-2: Strikeout which is not applicable.

दिनांक/Date .................... वार/Day ........................ समय/Time ...............

Signature of the Government Servant

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर Signature of the witnesses :

1. …………………………………..

2. …………………………………..

(कार्यालय प्रधान द्वारा भरा जाने के लिए / To be filled by the head of the office)

द्वारा नामांकन/Nomination by ……………………………………..

कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर/Signature of the Head of the office

पदनाम/Designation ............................................................

कार्यालय/Office ....................................................................

दिनांक/Date .............................................

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए नामांकन प्राप्ति की पावती

Acknowledgement receipt of the nomination for death cum retirement gratuity

सेवा में,

………………………………….

………………………………….

………………………………….

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा नियम-53 के तहत प्रपत्र-1 में प्रस्तुत ग्रेच्युटी के संबंध में नामांकन, दिनांक........................ / पूर्व में किए गए नामांकन को निरस्त करने के लिए आवेदन, दिनांक ....................... इस कार्यालय को प्राप्त हुआ | इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि इसे रिकॉर्ड में उचित स्थान पर दर्ज कर दिया गया है |

स्थान :

दिनांक :

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

पदनाम :

नोट : सरकारी कर्मचारी को यह सलाह दी जाती है कि यदि वह नामांकन की प्रतियां और संबंधित नोटिस और पावती को सुरक्षित अभिरक्षा में रखता है, तो यह उसके उम्मीदवारों के हित में होगा ताकि वे उसकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थियों के कब्जे में आ सकें।